

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक... 229
दिनांक... 23.09.20
हस्ताक्षर... 2

सेवा में

- 1- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवंसमाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ
- 2- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी नरसिंहपुर इलाहीबाग रोड गोरखपुर
- 3- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी बी-74 जिगर कालोनी मुरादाबाद
- 4- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 57 ए साकेत मेरठ
- 5- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 321/1 शिवकुटी तेलियरगंज प्रयागराज
- 6- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 39/42 ए/1 पुरानी ईदगाह कालोनी आगरा
- 7- जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी एस-3/160-10 प्लॉट नं0-1 भवित्तनगर कालोनी पाण्डेयपुर वाराणसी

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक 16 सितम्बर 2020

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

श्री [REDACTED] का संलग्न आवेदन दिनांक 4 सितम्बर 2020 (पंजीकरण संख्या-59) जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको अंतरित किया जा रहा है क्यों कि मांगी गयी सूचना के क्रमांक-1 से 3 की विषयवस्तु आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पडती है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) फीस के रूप में भुगतान किया है जिसे सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

26/9/20
(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या- (1) पी0पी0/26-84/2019 तदिनांक

प्रतिलिपि- श्री [REDACTED] को उनके पत्र दिनांक 04.09.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि आपका उपरोक्त पत्र संबंधित जन सूचना अधिकारियों को अंतरित कर दिया गया है।

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

कार्यालय
 क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
 गोरखपुर क्षेत्र।

संख्या २०३ म०स०ग०/क०का०वा०/२०२०-२१ गोरखपुर दिनांक ०३ अक्टूबर २०२०

श्री [REDACTED]
 [REDACTED]

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत सूचना दिए जाने के संबंध में।
 महोदय

उपरोक्त विषयक आप का पत्र दिनांक ०४.०९.२०२० जो जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या १७६६ पी०पी०/२६-४५/२०२० लखनऊ दिनांक १६ सितम्बर २०२० के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक २३.०९.२०२० को प्राप्त हुआ है के सन्दर्भ में गोरखपुर क्षेत्र की विन्दुवार सूचना आप की सेवा में कृपया निम्नवत है -

विन्दु संख्या ०१ व ०२

क्र.सं.	जनपद	संचालित/अनुदानित नशामुक्ति केंद्र का नाम	वर्ष २०२०-२१ में भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि
१.	गोरखपुर	वासुदेव तिवारी सेवा संस्थान नाम- महाइचपुत पी० भेड़ापाकड, देवरिया द्वारा संचालित पुनर्जन्म नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सोनबरसा बाजार, गोरखपुर	२९.०५.२०२०

विन्दु संख्या- ३ के सन्दर्भ में संस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड किये जाने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी, संस्थाओं द्वारा प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ साहल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसके पश्चात् नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जाती है। उक्त संस्था द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी, संस्था द्वारा प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय में अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

(रामसेवक सिंह यादव)

जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
 गोरखपुर क्षेत्र (अतिरिक्त प्रभार)

संख्या २०३ म०स०ग०/क०का०वा०/२०२०-२१ गोरखपुर तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ कृपया प्रेषित -

१- जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ०प्र० ८०८ बाजार भवन अशाक मार्ग लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में कृपया प्रेषित।

(रामसेवक सिंह यादव)

जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
 गोरखपुर क्षेत्र (अतिरिक्त प्रभार)

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
वाराणसी क्षेत्र।

संख्या : 253 टी0पी0वी0/2020-21 वाराणसी दिनांक 03 अक्टूबर 2020

श्री [REDACTED]

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आप का पत्र दिनांक 04.09.2020 जो जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 1786 पी0पी0/26-45/2020 लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर 2020 के द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त हुआ है ; के सन्दर्भ में वाराणसी क्षेत्र की विन्दुवार सूचना आप की सेवा में कृपया निम्नवत है :-
विन्दु संख्या-01 व 02

क्र. सं.	जनपद	संचालित/अनुदानित नशामुक्ति केन्द्र का नाम	वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि
1.	वाराणसी	लक्ष्य सर्विस फाउण्डेशन , मण्डुआडीह वाराणसी द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र मुण्डुआडीह वाराणसी।	28.05.2020
2.	वाराणसी	उमाकान्त सर्विस फाउण्डेशन , कोदोपुर , चौबेपुर वाराणसी द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र , पनेहरी , चौबेपुर वाराणसी।	28.05.2020
3.	चन्दौली	खण्डवारी देवी शिक्षा प्रसार समिति ; चहनियों चन्दौली , द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र चहनियों , चन्दौली।	28.05.2020
4.	सोनमद्र	परख , थरबिहार , पीढी करछना , इलाहाबाद द्वारा संचालित मादक पदार्थ निर्व्यसन केन्द्र ग्राम व पो0 सलखन ; सोनमद्र।	11.05.2020
5.	मीरजापुर	वैष्णवी फाउण्डेशन , जमुआ , पवारी, वाया कोरांव इलाहाबाद द्वारा संचालित मादक पदार्थ निर्व्यसन केन्द्र कोलाही , बिजयपुर ; मीरजापुर।	05.08.2020

विन्दु संख्या- 3 के सन्दर्भ में संस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड किये जाने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी ; संस्थाओं द्वारा प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसके पश्चात् नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त में से किसी भी संस्था द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी ; संस्था द्वारा प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों इस कार्यालय में अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

4/03/10/20
(रामसेवक सिंह यादव)

जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
वाराणसी क्षेत्र।

संख्या: 253 टी0पी0वी0/2020-21 वाराणसी तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ कृपया प्रेषित :-

- 1- जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0, 808, जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में कृपया प्रेषित।

4/03/10/20
(रामसेवक सिंह यादव)

जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
वाराणसी क्षेत्र।

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
39/42ए/1 पुरानी ईदगाह कालोनी, आगरा

पत्रांक 268 म0स0आ0/2020-21/आगरा

दिनांक 07 अक्टूबर 2020

सेवा में,

श्री [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
कृपया आप अपने आवेदन दिनांक -04.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/जनसूचना अधिकारी मुख्यालय, 807, जवाहर भवन, लखनऊ का पत्र संख्या 1786 पी0पी0/26-45/2020 दिनांक 16 सितम्बर 2020 से इस कार्यालय को दिनांक -23.09.2020 में प्राप्त हुआ के सन्दर्भ में वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्नवत हैं।

बिन्दु संख्या-1 व 2 के सम्बंध में-

क0 सं0	संचालित/अनुदानित नशा मुक्ति केन्द्र का विवरण	भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि
1	श्रीमती कौशल्या देवी पूर्व मा0 वि0 समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र 110 पुरविया टोला इटावा	28.05.2020
2	उपकार जनकल्याण सेवा समिति, ग्रेसी गंज, द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र, छिबरामऊ, कन्नौज	29.05.2020

बिन्दु संख्या-3 के सन्दर्भ में संस्था द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड किये जाने के पश्चात प्रस्ताव की हार्ड कापी, संस्था द्वारा प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणिता प्रतियाँ सहित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त में से किसी भी संस्था द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

[REDACTED]
03-10-20
(विजय कुमार हजेला)
जनसूचना अधिकारी/

उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि:- उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/जनसूचना अधिकारी मुख्यालय, 807, जवाहर भवन, लखनऊ का पत्र संख्या 1786 पी0पी0/26-45/2020 दिनांक 16 सितम्बर 2020 के क्रम में सादर सचनार्थ प्रेषित।

[REDACTED]
03-10-20
जनसूचना अधिकारी/

उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी,
आगरा।